फार्म आइ डी
ईसीआई-ईपीआईसी-001B

भारत निर्वाचन आयोग

मतदाता फोटो पहचान पत्र और फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने के लिए फोटोग्राफ (वैकल्पिक) जमा करने के लिए फार्म

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम:	भाग संख्या	अनुभाग की संख्या व नाम

****अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची, 200..... के अनुसार मतदाता का विवरण**

क्र0 सं0	मकान नं0	पता	नाम	सम्बन्ध	सम्बन्धी का नाम	लिंग	आयु	मतदाता फोटो पहचान पत्र की संख्या

मतदाता द्वारा हाथ से अपने नाम तथा सम्बन्धी के नाम की वर्तनी एवं फोटो पहचान संख्या में छोटे मोटे संशोधनों को स्पष्ट रूप से इंगित कर दें। ऐसे मामलों में जिसमें पहले से मुद्रित गृह संख्या और पता सही है लेकिन अपर्याप्त है तो पूरा डाक पता नीचे लिखना चाहिए:-

मकान/गृह संख्या:	गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/
नगर/ग्राम:	मोहल्ला/सड़क:
तहसील/तालुक/मण्डल/थाना:	डाकघर:
पिन कोड:	जिला:

ऐसे मामलों में जिसमें कोई विशिष्टि विशेष गलत मुद्रित हो तो उस अशुद्धि को मतदाता सूची में संशोधित कराने के लिए आवेदन पत्र भरना चाहिए। यदि आपका नाम या सम्बन्धी का नाम या आयु या लिंग गलत मुद्रित है, तो फार्म-8 भरना चाहिए। उस दशा में जब आपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ही अपना निवास स्थान परिवर्तित किया हो तो इस फार्म के साथ फार्म-8क भरना चाहिए।

एक पासपोर्ट आकार (3.5 से0मी0 X 3.5 सेमी) की रंगीन फोटो यहां चिपकाएं (इस फोटो पर अपने हस्ताक्षर न करें)

दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दिये गये स्थान पर चिपकाएं-एक फोटो पर इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि हस्ताक्षर का कुछ हिस्सा फोटो पर तथा कुछ फार्म पर आये और दूसरी फोटो अहस्ताक्षरित रहेगी-जो फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र तैयार करने के लिए अपने स्वयं व्यय पर है। एक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न की जाय।

एक पासपोर्ट आकार (3.5 से0मी0 X 3.5 सेमी) की रंगीन फोटो यहां चिपकाएं (इस फोटो पर इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि हस्ताक्षर का कुछ हिस्सा फोटो पर तथा कुछ फार्म पर आयें)

मेरी जन्म तिथि	दि0	दि0	म0	म0	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: कृपया नीचे दिए गए फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक की प्रमाणित छायाप्रति फोटोग्राफ और जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न करें। ऐसे मामलों में जिसमें दस्तावेज को स्व-प्रमाणित किया गया हो तो, फार्म जमा करते समय व्यक्ति द्वारा मूल दस्तावेज दिखाया जाय-

1. **फोटोग्राफ के सत्यापन के लिए**- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, सर्विस पहचान पत्र जो कि राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया हो, सम्पत्ति के पंजीकृत दस्तावेज, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/पोस्टआफिस द्वारा फोटोग्राफ के साथ जारी की गयी पासबुक, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र, अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पि0व0 प्रमाण पत्र, पेंशन सम्बन्धी दस्तावेज, रेलवे पहचान पत्र कार्ड, स्वंतत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा बीड़ी कामगारों को जारी पहचान पत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अधीन जारी जॉब कार्डस, मतदाता फोटो पहचान पत्र, यदि कोई हो।
2. **जन्मतिथि के प्रमाण के लिए**-यदि फोटोग्राफ के सत्यापन हेतु दाखिल किये गये अभिलेख में जन्म तिथि नहीं दर्शायी गयी है, तो नगरीय स्थानीय निकाय या जिले के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, संलग्न किया जाय।

केवल कार्यालय प्रयोगार्थ हेतु

फोटोग्राफ सत्यापित: हां/नहीं ..... निर्वा0 रजि0 अधि0 के प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर	स्कैनिंग के लिए अग्रसारित/नहीं अग्रसारित .... निर्वा0रजि0अधि0/महा0निर्वा0रजि0अधि0 के हस्ताक्षर	कृपया जब पूरा हो तो सही खाने में टिक करें छवि स्कैन्ड [ ] छवि को डाटाबेस में एकीकृत करना [ ] बनाया गया मतदाता फोटो पहचान पत्र [ ] मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने की तिथि...../...../.....

नोट: पहले से मुद्रित डाटाबेस से (उन दो भाषाओं में से जिसमें से एक भाषा में मतदाता फोटो पहचान पत्र मुद्रित हो)**